न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 186/2015

1. गिरधारी लाल 2. विजय सिंह 3. संदीप	पिसरान राजाराम	जाति नाई निवासीयान 4 एम.एल.तह. व जिला श्रीगंगानगर।

4. सुशीला पुत्री राजाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति नाई निवासी चक 4 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. काशीराम पुत्र प्रभुराम जाति नाई निवासी 4 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——मृतक

1/1 दलीप कुमार 1/2 रामस्वरूप	पिसरान काशीराम जाति नाई निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

1/3 गायत्री देवी पुत्री काशीराम पत्नी राजपाल जाति नाई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

1/4 शकुंतला पुत्री काशीराम पत्नी नगेन्द्र जाति नाई निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

1/5 रामी देवी पत्नी काशीराम जाति नाई निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2. जी.एच. स्टेट प्राईवेट लिमिटेड, श्रीगंगानगर जरिये डायरेक्टर अशोक कुमार पुत्र सूरजभान जाति अग्रवाल निवासी सूरज क्लॉथ हाउस नजदीक गोल बाजार, सब्जी मण्डी, संगरिया जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 24.07.2015

उपस्थिति :–

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1/1 से 1/5

निर्णय दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त. अधि. की धारा 212 का पेश कर कथन किया कि चक 4 एम.एल. के मु.नं. 44 के कि.नं. 1, 10 से 12 में वादी/प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी सं. 2 संयुक्त खाता की भूमि का बिना विभाजन करवाये किसी भाग पर काबिज होने का अधिकारी नहीं है एवं अप्रार्थीगण कि.नं. 11 व 12 में अवैध निर्माण करना चाहते हैं। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 4 एम.एल. के मु.नं. 44 के कि.नं. 11, 12 में किये जा रहे अवैध निर्माण करने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 को रोका जावे।

अप्रार्थी सं. 2 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य विवाद है जिसमें अप्रार्थी राजस्व मण्डल में पक्षकार नहीं है। प्रार्थीगण को यदि कोई अनुतोष चाहिए तो राजस्व मण्डल अजमेर में चाराजोही करनी चाहिए। कि.नं. 11,12 में कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, बल्कि अस्थाई रूप से निर्माण करने वाले मजदूरों के लिए अस्थाई रूप से झोंपडियां बना रखी हैं। भूमि का किसी प्रकार से स्वरूप बदलने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे। इसी आशय का जबाब अप्रार्थी सं. 1 ने पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 24.07.2015 को प्रार्थी का प्रा.पत्र अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हर प्रकार से मामला अपीलांट के पक्ष में साबित था। यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि पर निर्माण आदि कार्य कर दिया तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में

विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, जब तक प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है अधी. न्यायालय को कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली में इस न्यायालय के प्रकरण सं. 57/2006 गिरधारीलाल बनाम काशीराम निर्णय दिनांक 31.05.2007 की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें मु.नं. 44 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 की भूमि में अप्रार्थी अपने हिस्से तक की भूमि का बेचान कर सकने का आदेश है तथा जब तक विभाजन नहीं हो जाता तब तक अजनबी व्यक्ति को किये गये बेचान के आधार पर इन पर कब्जा नहीं दिलाया जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है। इससे स्पष्ट है कि जब इस न्यायालय द्वारा कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 के सम्बन्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है तो पुनः कि.नं. 11, 12 के लिए अधी. से चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रा.पत्र अधी. न्यायालय द्वारा खारिज करने में हमारे विचार से कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि इसी भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर